अनुदान संख्या 27 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 27–MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	1327,50,00		1329,41,00	1290,28,50	–39,12,50
पूरक	Supplementary	1,91,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					28,84,42
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	143,50,00		203,50,00	142,69,80	–60,80,20
पूरक	Supplementary	60,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					60,75,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3912.50 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 191.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3912.50 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.191.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	790.00	880.00	856.30	–23.70
पू.	S.	128.00			
पु.	R.	–38.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2250'' अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	1900.00	1616.81	1575.69	–41.12
पु.	R.	–283.19			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	7495.00	7217.83	6568.84	–648.99
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–278.17			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	122155.00	119796.94	119497.95	–298.99
पु.	R.	–2358.06			

(I) 1136.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 759.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''लीलाबाड़ी प्रायोगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए सहायता'' - 399.00 लाख रु. परियोजना का आधार कार्य शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) ''पूर्वोत्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अध्यक्ष का खेल पुरस्कार'' - 110.00 लाख रु. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पूर्वोत्तर से नामित खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.1136.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.759.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Other Expenditure" – under the following heads:-

(A) "Support for Lilabari Pilot Training Institute" – Rs.399.00 lakhs – due to non-starting of the foundation work of the project.

(B) "Chairman's Sports Award for excellence in International & National Sports Meet by Sportmen /Sports Women of NE" - Rs.110 lakhs - due to non-availability of nominated sports person from North East in the National and International events.

(गा) ''नई दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के होस्टल के निर्माण के लिए आंशिक सहायता'' - 250.00 लाख रु. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(C) "Partial Support for construction of Working Women's Hostel in New Delhi" – Rs.250.00 lakhs – due to non-receipt of utilisation certificates from National Building Construction Corporation Limited, New Delhi.

(II) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''आंचलिक परिषद - पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग'' के अंतर्गत 790.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 128.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 918.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 61.70 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2070" – "Zonal Councils – North Eastern Councils Secretariat, Shillong" – the original provision of Rs.790.00 lakhs was augmented to Rs.918.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.128.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.61.70 lakhs – due to economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''अन्य व्यय - अन्य स्कीमें'' के अंतर्गत 295.87 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2250" – "Other Expenditure – Other Schemes" – saving of Rs.295.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2552" - "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अन्य विविध मदें'' - 162.44 लाख रु. की बचत (2050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्तकालय फर्नीचर बिल को अंतिम रूप न दिए जाने, राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र और समर्थित दस्तावेजों के प्राप्त न होने और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसपीआईएनई के अंतर्गत आवेदकों द्वारा अदालती मामले दायर किए जाने के कारण हुई।

(A) "Other Miscellaneous Items" - saving of Rs.162.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2050.00 lakhs) was due to non-finalisation of library furniture bill, non-receipt of utilisation certificate and supporting documents from State Governments/Implementing agencies and court cases filed by the applicants under the SPINE before the Hon`ble High Court.

(खा) ''पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में परियोजना आयोजना एवं निगरानी कक्ष की स्थापना'' - 151.02 लाख रु. की बचत (220.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं/केंद्रीय सरकारी अभिकरणों को समाविष्ट करते हुए तृतीय पक्ष निगरानी प्रणाली के प्रति अपेक्षित प्रतिक्रिया न दर्शाए जाने के कारण हुई।

(B) "Setting up of Project Planning and Monitoring Cell in NEC Secretariat" – saving of Rs.151.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.220.00 lakhs) was due to lack of desired response to the new 3rd Party Monitoring System involving reputed academic institutions/Central Government agencies.

(गा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को सहायता'' - 264.28 लाख रु. की बचत (275.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-सरकारी संगठनों से उपयोग प्रमाण-पत्रों और सहायक दस्तावेजों के प्राप्त न होने

(C) "Support to Projects related with Tourism in NER" - saving of Rs.264.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.275.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and supporting documents from Non-Government

और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन संबंधी बृहत योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

Organisations and non-finalisation of Master Plan for Tourism in North Eastern Region.

(घा) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा परिषद को सहायता'' - 260.00 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्यापकों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(D) "Support of NER Education Council (NEREC)" – saving of Rs.260.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from State Governments for conducting workshops and training for teachers.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''विशेष योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Special Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें - विशेष विकास परियोजनाएं'' - 298.99 लाख रु. की बचत (47055.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Schemes of North Eastern Council – Special Development Projects" – saving of Rs.298.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.47055.00 lakhs) was due to late receipt of utilisation certificates from State Governments.

(खा) ''बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए विशेष पैकेज - विशेष विकास पैकेज'' - 3297.04 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असम की राज्य सरकार से नए प्रस्तावों और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Special Package for the Bodoland Territorial Council (BTC) – Special Development Package" – saving of Rs.3297.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-receipt of new proposals and utilisation certificates from the State Government of Assam.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of Rs.59.37 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''विद्युत - पीजीसीआईएल द्वारा क्षेत्र का लोड प्रवाह अध्ययन'' - 975.00 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत के पारेषण और उप-पारेषण पर ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2552" - "Power – Load Flow Study of the Region by PGCIL" – excess of Rs.975.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for preparation of detailed project report on Transmission and Sub-Transmission of power in the North Eastern Region by Power Grid Corporation of India Ltd.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय संसाधन पूल के लिए केंद्रीय सहायता'' - 1038.98 लाख रु.का अधिक व्यय (65000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय संसाधनों के व्यपगत न होने वाले पूल को बढ़ाकर के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants – Central Assistance for the Central Resources Pool for Development of North Eastern Region" – excess of Rs.1038.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.65000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for augmenting the Non-Lapsable Central Pool of Resources.

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत 137.64 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 20 प्रतिशत था।

(II) Under two heads excess of Rs.137.64 lakhs occurred each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 12 percent and 20 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (6080.20 लाख रु. फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 6000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.6080.20 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.6000.00 lakhs obtained in February, 2009 and constituted 30 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	7950.00			
पू.	S.	6000.00	7875.00	7869.80	–5.20
पु.	R.	–6075.00			

(I) 6000.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत सात मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary provision of Rs.6000.00 lakhs remained wholly unutilised in seven cases under the following heads:-

(का) ''सड़कें तथा सेतु - पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े जिलों में पैदल यात्री किस्म के तार रस्सा 200 झूला पुलों का निर्माण'' - 1000.00 लाख रु.;

(A) "Roads and Bridges – Construction of 200 Pedestrian type wire rope suspension bridges in backward districts of North Eastern States" – Rs.1000.00 lakhs;

(खा) ''विद्युत - अरुणाचल प्रदेश में खुप्पी से तवांग तक 132 केवी सिंगल सर्किट पारेषण लाइन'' - 1000.00 लाख रु.;

(गा) ''नागर विमानन - अरुणाचल प्रदेश में तेजू में नए विमानपत्तन का अवसंरचना विकास'' - 1000.00 लाख रु.;

(घा) ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास के लिए मिजोरम की पश्चिमी पट्टी का विकास'' - 1000.00 लाख रु.;

(ङ) ''लघु और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास - निर्माण - नागालैंड के मोन, त्यूनसांग, किफायर और लौंगलेंग जिलों का विकास'' - 500.00 लाख रु.;

(चा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''कर्बी अंगलौंग और उत्तरी कचार जिला परिषदों में स्कीमें'' - 500.00 लाख रु.; और

(ख) ''सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू की जाने वाली स्कीमें'' - 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता की वजह से स्कीमों को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) ''नागर विमानन - पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन के सुधार के लिए सहायता'' के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.09 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 81 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें ''सड़कें तथा सेतु - सीमा सड़क संगठन के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली आर्थिक महत्व की

(B) "Power – 132 KV single circuit transmission line from Khuppi to Tawang in Arunachal Pradesh" – Rs.1000.00 lakhs;

(C) "Civil Aviation – Infrastructure Development of new airport at Teju in Arunachal Pradesh" – Rs.1000.00 lakhs;

(D) "Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes – Development of Western Belt of Mizoram for resettlement of Bru Tribals" – Rs.1000.00 lakhs;

(E) "Integrated Development of Small & Medium Towns – Construction – Development of Mon, Tuensang, Kiphire and Longleng Districts of Nagaland" – Rs.500.00 lakhs;

(F) "Other Expenditure" –

(a) "Schemes in Karbi Anglong and North Kachar District Councils" – Rs.500.00 lakhs; and

(b) "Schemes to be implemented in border areas by Army" – Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to non-receipt of approval of schemes owing to Election Commissions Model Code of Conduct.

(II) Under "Civil Aviation – Support for improvement of Airport in NE Region" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to reduced requirement of funds assessed by the Airports Authority of India.

(III) Under one head saving of Rs.81.09 lakhs occurred constituting 81 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under "Roads and Bridges – Construction/

सड़कों/अंतर्राज्जीय सड़कों का निर्माण/सुधार'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 500.89 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मणिपुर में सीमा सड़कों के निर्माण से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Improvement of Roads of Economic Importance/ Inter State Roads to be executed through the Border Road Organisation" – excess of Rs.500.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for works relating to border roads constructions in Manipur.